भारत सरकार Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग Department of Atomic Energy
निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय
Directorate of Construction, Services &Estate Management
प्रवर्तन अनुभाग Enforcement Section

वि.सा.भवनV.S. Bhavan,
अणुशक्तिनगरAnushakti Nagar,
मुंबईMumbai 400 094.
Telephone:25487217/25487267

सं.निसेसंप्रनि/प्रवर्तन/34(01)/डी-मेनेस/
Ref: DCSEM/Enft/34(01)/D-Menace/ 1373

जून June 26 , 2023

परिपत्र CIRCULAR

विषय: मुंबई के अणुशक्तिनगर/अन्य पऊवि कॉलोनियों में निवासियों, कुत्तों को खिलाने वालों और पालतू जानवरों के मालिकों के लिए दिशानिर्देश।

Sub: Guidelines for residents, dog feeders, and owners of pet animals in Anushaktinagar/other DAE colonies in Mumbai.

इस निदेशालय ने पिछले दो वर्षों में अणुशक्तिनगर में कई संवेदीकरण और जागरूकता कार्यक्रम के साथ-साथ आवारा कुत्तों के लिए नसबंदी और टीकाकरण अभियान चलाया है। मनुष्यों और जानवरों के और अधिक शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को सुनिश्चित करने के साथ-साथ फीडरों/निवासियों के बीच संघर्ष को कम करने के लिए, गैर-सरकारी संगठनों, पशु प्रेमियों/फीडरों, रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, बीएमसी के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठकों के आधार पर निम्नलिखित दिशानिर्देशों को तैयार किया गया है। अणुशक्तिनगर एवं मुंबई में स्थित अन्य पऊवि कॉलोनियों से संबंधित सभी कर्मचारियों/निवासियों से अनुरोध है कि वे कृपया इन दिशानिर्देशों का पालन करें।

This Directorate has conducted several sensitization and awareness programmes as well as sterilization and vaccination drive for strays in Anushaktinagar in the past two years. In order to ensure further peaceful coexistence of humans and animals as well as to reduce the conflict among the feeders/residents, all employees/residents belonging to Anushaktinagar/other DAE colonies in Mumbai are requested to kindly abide by the following guidelines which have been formulated based on the meetings conducted with NGOs, animal lovers/feeders, Residents' Welfare Associations as well as representatives of BMC:

1. पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11 किसी भी व्यक्ति को किसी जानवर को अनावश्यक दर्द या पीड़ा देने या पैदा करने, या यदि वह मालिक है, किसी जानवर को अनावश्यक दर्द या पीड़ा पहुँचाने की अनुमति देने से रोकती है। यह अधिनियम अंर्तगत किसी जानवर को पीटना, लात मारना, यातना देना, अंग-भंग करना, हानिकारक पदार्थ देना या निर्दयतापूर्वक मारना अपराध है। सभी निवासियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे आवारा पशुओं के प्रति किसी भी प्रकार की क्रूरता न करें और आवारा पशुओं को खिलाने वालों को परेशान करने से भी बचें।
 Section 11 of Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 prohibits any person from inflicting, causing, or if it is the owner, permitting, unnecessary pain or suffering to be inflicted on any animal. The Act makes it a crime to beat, kick, torture, mutilate, administer an injurious substance, or cruelly kill an animal. All residents should ensure that they do not involve in any such kind of cruelty to stray animals and also refrain from harassing feeders of stray animals.

2. जैसा कि इस निदेशालय के दिनांक 25/08/2021 के परिपत्र द्वारा पहले ही दोहराया जा चुका है, पालतू पशु मालिकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पालतू जानवर स्वस्थ, स्वच्छ और टीकाकृत हैं। उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपने पालतू जानवरों को सार्वजनिक स्थानों और सामान्य क्षेत्रों में सैर के लिए ले जाते समय पट्टा बांधें ताकि अन्य आबंटितियों और राहगीरों को असुविधा ना हो। उन्हें यह भी सलाह दी जाती है कि वे पालतू जानवरों को रास्ते और

सीढ़ियों पर भटकने न दें। पालतू जानवरों के मालिकों से अनुरोध किया जाता है कि वे कॉलोनी में स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बनाए रखने के लिए पालतू जानवर जब सार्वजनिक परिसर में शौच करे तो उसकी सफाई करें। बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने पालतू जानवरों के मालिकों के लिए अपने पालतू जानवरों के साथ चलते समय मल उठाने के लिए उपकरण/स्कूप साथ रखना अनिवार्य कर दिया है। बीएमसी के स्वच्छता और स्वास्थ्य-रक्षा उपनियम - 2006 के अनुसार, किसी भी पालतू जानवर के मालिक की जिम्मेदारी है कि वह सड़क या किसी सार्वजनिक स्थान पर पालतू जानवरों द्वारा बनाए गए किसी भी कूड़े को तुरंत हटा दे/साफ कर ले, और उसके उचित निपटान के लिए पर्याप्त कदम उठाए। ऐसा करने में असमर्थ होने पर, पालतू जानवरों के मालिकों को उपनियमों के अनुसार 500/- रुपये का दंड देना होगा। पालतू जानवरों के मालिकों से अनुरोध है कि वे बीएमसी द्वारा जारी किए गए पालतू जानवरों के वैध लाइसेंस के साथ (संलग्न प्रारूप में) ई-मेल आईडी strayanimals@dcsem.gov.in पर प्रवर्तन अनुभाग, निसेसंप्रनि को सूचित करें।

As already reiterated vide this Directorate's circular dated 25/08/2021, pet owners should ensure that their pets are healthy, clean and vaccinated. They are advised to leash their pets while taking them for walks in public places and also in common areas so as to avoid inconvenience to other allottees and passersby. They are also advised not to allow pets to stray on passages and staircases. Pet owners are requested to clean up when the pet defecates in public premises for maintaining clean and healthy environment in the colony. The Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) has made it compulsory for pet owners to carry equipment/scoops to lift poop while walking with their pets. As per BMC's Cleanliness & Sanitation Byelaws – 2006, it is the responsibility of the owner of any pet animal to promptly scoop/clean up any litter created by pet animals on the street or any public place, and take adequate steps for the proper disposal of such waste. On failing to do so, pet owners will have to face a fine of Rs.500/- as specified in the Byelaws. Pet owners are requested to intimate Enforcement Section, DCSEM regarding pet animals at home along with valid licence issued by BMC to e-mail ID strayanimals@dcsem.gov.in as per the enclosed format.

3. विगत दो वर्षों में न्यू मंडला और वेस्टर्न सेक्टर सहित अणुशक्तिनगर में आवारा पशुओं को खिलाने के लिए संबंधित रेजिडेंट्स एसोसिएशन द्वारा चिन्हित कुल 98 फीडिंग प्वाइंट का निर्माण किया गया है। नियमित रूप से आवारा पशुओं को खाना खिलाने से न केवल भुखमरी को रोका जा सकेगा बल्कि उनसे दोस्ती करने में भी मदद मिलेगी, जिससे जरूरत पड़ने पर उनकी नसबंदी और इलाज कराने में आसानी होगी। मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा 10.03.2023 को अधिसूचित पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 के नियम 20 के अनुसार, निवासी कल्याण संघ या अपार्टमेंट मालिक संघ या स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि यह सुनिश्चित करेंगे:

In the past two years, a total of 98 feeding points identified by the respective residents associations have been constructed in Anushaktinagar including New Mandala and Western Sector for feeding of strays. Regularly feeding stray animals will not only prevent starvation but also helps in befriending them, making it easier to get them sterilized and treated when needed. As per Rule 20 of Animal Birth Control Rules, 2023 as notified by Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying on 10.03.2023, the resident welfare association or apartment owner association or the local body's representative shall ensure:

(i) फीड स्पॉट नामित करते समय श्वान की आबादी और उनके संबंधित क्षेत्रों की संख्या को धयान में रखते हुए पारस्परिक रूप से सहमत स्थान पर होना चाहिए जो बच्चों के खेलने के क्षेत्रों, प्रवेश और निकास बिंदुओं, सीढियों से दूर होंगे या ऐसे क्षेत्रों में होंगे जहां बच्चों और ज्येष्ठ नागरिकों द्वारा कम से कम बार आने की संभावना हो।

To designate feed spots which are mutually agreed upon, keeping in mind the number of dog population and their respective territories and the feeding spots shall be far from children play areas, entry and exit points, staircase or in an area which is likely to be least frequented by children and senior citizen.

(ii) बच्चों , ज्येष्ठ नागरिकों , खेलों के लिए आवाजाही के आधार पर भोजन का समय निर्धारित करना, जिसमें बच्चों और ज्येष्ठ नागरिकों द्वारा कम से कम बार आने की संभावना हो।
To designate feeding time depending on the movement of the children, senior citizens, sports which is likely to be least frequented by children and senior citizen.

(iii) नामित फीडर यह सुनिश्चित करेगा कि फीडिंग स्थानों पर कोई गंदगी न हो या उस क्षेत्र के रेजडेंट वेलफेयर एसोसिएशन या अपाटचमेंट ओनर एसोसिएशन द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों का उल्लंघन न हो।
Designated feeder shall ensure that there is no littering at the feeding location or violation of guidelines framed by the Resident Welfare Association or Apartment Owner Association or that areas.

(iv) स्थानीय प्राधिकरण के माध्यम से पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम में सहायता हेतु नामित फीडरों को टीकाकरण, कुत्तों को पकडने और छोडने के लिए स्वयं सेवा की अनुमति है।
Designated feeders are allowed to volunteer for vaccination, catching and release of dogs to assist with Animal Birth Control Program through local authority.

अतः अणुशक्तिनगर के फीडरों /निवासियों को भारत सरकार/ पशु कल्याण बोर्ड के दिशा-निर्देशों का पालन करने की सलाह दी जाती है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे आवारा पशुओं को चिन्हित फीडिंग स्थानों पर खिला रहे हैं। फीडिंग स्थानों को साफ-सुथरा रखना चाहिए। सभी निवासी यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी मलबा या कचरा किसी के द्वारा भोजन स्थल के पास या उस पर नहीं फेंका जाए।

Hence the feeders /residents of Anushaktinagar are advised to follow the guidelines of Govt. of India/ Animal Welfare Board and to ensure that they are feeding the stray animals at the designated feeding points. Feeding point shall be kept neat and clean. All the residents shall ensure that no debris or waste is dumped by anyone near or at the feeding points.

4. अणुशक्तिनगर में निवासी जो स्वेच्छा से आवारा पशुओं को खाना खिलाना चाहते हैं, उन्हें अपने क्षेत्र में संबंधित रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, अर्थात् अरवा/एमआरडब्ल्यूए/डब्ल्यूएसआरए को अपना विवरण प्रस्तुत करना होगा।
The residents in Anushaktinagar interested to feed the strays self on voluntary basis shall submit their details to the respective Residents' Welfare Association in their area viz. ARWA/MRWA/WSRA.

5. फीडिंग पॉइंट्स पर आवारा जानवरों को खिलाने के मुद्दे के बारे में फीडर संबंधित रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन से संपर्क कर सकते हैं। रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन निसेसंप्रनि द्वारा गठित उप-समिति के साथ समन्वय करेंगे।
Feeders may approach respective Residents' Welfare Associations regarding the issue of feeding of stray animals at Feeding Points. Residents Welfare Associations may coordinate with the sub-committee constituted by DCSEM.

6. निवासी यह भी ध्यान दें कि आवारा पशुओं के खतरे के संबंध में या आवारा पशुओं के प्रति क्रूरता के संबंध में कोई भी शिकायत उनके क्षेत्र के संबंधित निवासी कल्याण संघ अर्थात् अरवा/एमआरडब्ल्यूए/डब्ल्यूएसआरए को प्रस्तुत की जा सकती है जो अणुशक्तिनगर में आवारा पशुओं के मामलों को देखने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में अधिकृत हैं।
Residents may also note that any complaints with respect to menace of stray animals or with respect to cruelty towards stray animals may be submitted to the respective Residents' Welfare Association of their area viz. ARWA/MRWA/WSRA who are authorized as nodal agency to look into the matters of Stray animals at Anushaktinagar.

7. सभी निवासी कृपया ध्यान दें कि अणुशक्तिनगर एक उच्च सुरक्षा क्षेत्र है और इसलिए सामान्यतः अणुशक्तिनगर के बाहर के फीडरों को परिसर के अंदर अनुमति नहीं दी जाएगी।
All residents may kindly note that Anushaktinagar is a high security zone and therefore feeders from outside Anushaktinagar will generally not be allowed inside the premises.

8. जैसा कि बीएमसी ने सुझाव दिया है, यदि किसी निवासी को आवारा पशुओं के लिए चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है, तो वे एनजीओ, इन डिफेंस ऑफ एनिमल्स (आईडीए) से उनकी हेल्पलाइन 9320056581 पर और लैंडलाइन नंबर 022-25618001 पर कुत्ता नियंत्रण कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
As suggested by BMC, in case any residents need medical help for strays, they may contact the NGO, In Defense of Animals (IDA) at their helpline 9320056581 and Dog Control Office on Landline number 022-25618001.

सभी निवासियों से अनुरोध है कि वे सभी पऊवि कॉलोनियों में स्वच्छ, स्वस्थ, शांतिपूर्ण और रहने योग्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए सहयोग करें।
All the residents are requested to cooperate for ensuring a clean, healthy, peaceful and habitable environment in all DAE colonies.

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This issues with the approval of the Competent Authority.

संलग्न: ऊपरोक्त अनुसार
Encl:as above.

26.06.23

(एस.एस. गोंडाने S.S. Gondane)
मुख्य प्रशासन अधिकारी Chief Administrative Officer

मुंबई स्थित अणुशक्तिनगर / पऊवि की अन्य कॉलोनियों के आबंटिती - सभी संबंधित अनुरक्षण यूनिटों द्वारा प्रदर्शित/ व्यापक प्रचार-प्रसार करने हेतु।
Allottees of Anushaktinagar/other DAE colonies in Mumbai – Through respective maintenance units and also for display/wide publicity.

प्रतिलिपि Copy To:

1. अध्यक्ष कार्यालय, परमाणु ऊर्जा आयोग और सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग।
 Chairman's Office, AEC and Secretary, DAE.
2. संयुक्त सचिव (ए&ए), पऊवि Joint Secretary (A&A), DAE.
3. नियंत्रक, भापअके Controller, BARC.
4. मुंबई और नवी मुंबई के पऊवि इकाइयों को सभी प्रशासनिक प्रमुख – कर्मचारियों के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु
 All Administrative Heads of DAE Units in Mumbai/Navi Mumbai – For wide publicity among the employees.
5. मुख्य सुरक्षा अधिकारी, अणुशक्तिनगर – उपरोक्त प्रतिबंधों का अनुपालन करने हेतु।
 CSO, Anushaktinagar – To ensure compliance of the above instructions.
6. सभी रहिवासी कल्याण संघ उपरोक्त प्रतिबंधों का अनुपालन करने हेतु।
 All Resident Welfare Associations – To ensure compliance of the above instructions.

निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय

Directorate of Construction, Services and Estate Management

प्रवर्तन अनुभाग Enforcement Section

निवास में पालतु जानवर के बारे में जानकारी
Information regarding pet animals at residence

अ) **आबंटिति का विवरण Details of allottee:**

नाम Name : _____

पद Designation : _____

विभाग/इकाई Div/Unit : _____

आवासी पता

Residential address : _____

संपर्क संख्या Contact No:

कार्यालय का नम्बर Office No. : _____

मोबाइल नंबर Mobile No. : _____

पालतु जानवर का विवरण Details of pet : बिल्ली/कुत्ता Cat/Dog

क्या टीका लगाया गया है Whether vaccinated : हाँ/नही Yes/No.

पालतु जानवर का लाइसेंस Licence of the pet : हाँ/नही Yes/No.
(लाइसेंस की प्रतिलिपि को संलग्न करें Copy of the Licence to be enclosed)

आबंटिति के हस्ताक्षर Signature of the allottee:

तारीख Date:

SUBCOMMITTEE

विषय: अणुशक्तिनगर में आवारा और पालतू जानवरों की समस्या का समाधान करने और बीएमसी अधिकारियों के साथ समन्वय करने के संबंध में।

Sub: To address the issue of stray and pet animals in Anushaktinagar and coordinate with BMC authorities.

पूर्व के आदेश सं. निसेसंप्रनि/प्रवर्तन/34(01)/डी-मेनेस/294 दिनांक 10/03/2023 के क्रम में, निसेसंप्रनि के सक्षम प्राधिकारी एतद्वारा निम्नलिखित सदस्यों को सम्मलित करते हुए उपरोक्त विषय पर उप-समिति का गठन करते हैं।

In continuation to earlier order No.DCSEM/Enft/34(01)/D-Menace/294 dated 10/03/2023, Competent Authority in DCSEM hereby constitutes a sub-committee on above subject consisting of the following members:

1.	श्री अजय कुमार, वैज्ञानिक सहायक/डी, एच&सीएमएस, निसेसंप्रनि Shri Ajay Kumar, SA/D, H&CMS, DCSEM	संयोजक Convener
2.	श्री आशुतोष, वैज्ञानिक सहायक/डी, एच&सीएमएस, निसेसंप्रनि Shri Ashutosh, SA/B, H&CMS, DCSEM	सदस्य Member
3.	श्री सोनू सिंह सिंहरोहा, एएसओ (बी) Shri Sonu Singh Singhroha, ASO(B)	सदस्य Member
4.	श्री डी. एस. राजापुरे, खजांजी, एआरडब्ल्यूए Shri D.S. Rajapure, Treasurer, ARWA	सदस्य Member
5.	श्री जीवन भोसले, संयुक्त सचिव, एमआरडब्ल्यूए Shri Jeevan Bhosale, Joint Secretary, MRWA	सदस्य Member
6.	श्री हरीष सी. सोनी, संयुक्त सचिव, डब्ल्यूएसआरडब्ल्यूए Shri Harish C. Soni, Joint Secretary, WSRWA	सदस्य Member
7.	श्री मुकेश कुमार यादव, नर्स, चिकित्सा प्रभाग, भापअके Shri Mukesh Kumar Yadav, Nurse, Medical Division, BARC	सदस्य Member

समिति के नियम और संदर्भ निम्नवत हैं:

The terms and references of the committee are as follows:

a. आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के संचालन के लिए एमसीजीएम के साथ समन्वय करना।
To coordinate with MCGM for conducting sterilization and vaccination of strays.

b. अणुशक्तिनगर में कुत्तों के खतरे के संबंध में एमसीजीएम अधिकारियों के साथ समन्वय करना।
To coordinate with MCGM authorities regarding dog menace in Anushaktinagar.

c. अणुशक्तिनगर के विभिन्न स्थानों पर फीडिंग प्वाइंट्स के संबंधित शिकायतों का निराकरण करना।
To look into the complaints regarding feeding points at various locations of Anushaktinagar and resolve it.

d. रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों के परामर्श से आवारा पशुओं के लिए फीडिंग प्वाइंट्स में सुधार करना और फीडिंग प्वाइंट्स की पहचान के लिए सुझाव देना।
To provide suggestions for improvement of feeding points and identification of feeding points for stray animals in consultation with Resident Welfare Associations.

e. एडब्ल्यूबीआई और निसेसंप्रनि द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार संपदा प्रबंधन, निसेसंप्रनि अग्रेषित निवासियों की शिकायतों की जांच करना और उनके विचार/टिप्पणियां प्रस्तुत करना।
To examine the complaints of Residents forwarded by Estate Management, DCSEM in accordance with the guidelines issued by AWBI and DCSEM from time to time and submit their views/comments.

f. भापअके अस्पताल से त्रैमासिक आधार पर कुत्ते के काटने के मामलों की रिपोर्ट प्राप्त करना और जब भी आवश्यक हो शीर्ष समिति के साथ-साथ एमसीजीएम को यह रिपोर्ट प्रस्तुत करना। प्रवर्तन अनुभाग, निसेसंप्रनि भापअके अस्पताल को पत्र जारी करेगा।
To obtain report of dog bite cases from BARC Hospital on quarterly basis and submission of the same to Apex committee as well as MCGM as and when required. Enforcement Section, DCSEM will issue a communication to BARC Hospital.

g. शीर्ष समिति को अर्धवार्षिक आधार पर इनपुट प्रस्तुत करना।
To submit the inputs to Apex committee on half yearly basis.